

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राधिकारित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-124 / XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल 2022 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र (वर्ष 2022-23) में निदेशालय/शासन स्तर से पदस्थापना किये जाने वाले पदों हेतु सुगम एवं दुर्गम स्थलों का चिन्हीकरण जैसा कि पूर्व वर्ष 2018 में किया गया था यिना किसी बदलाव के यथावत् रहेगा।

परन्तु जिला स्तर पर जिनकी पदस्थापना जिला मुख्यालय से जिले के अन्दर की जायेगी उन पदों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा चिन्हित किये गये सुगम एवं दुर्गम स्थलों को यथा स्थिति में वैबसाइट WWW.agriculture.uk.gov.in पर प्रदर्शित किया जा रहा है।




कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक—कृनि०/ ५८५ / स्था०अनु०-१/ वार्षिक स्था०अधि०/ २०२२-२३/ दिनांक ३०-५-२०२२

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त कार्यालयध्यक्ष, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कर्मांक मण्डल, हल्द्वानी।
3. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पाँडी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
5. संयुक्त सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-१, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. कार्यालय आदेश/गार्ड पत्रावली में संचय हेतु।



कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड

३८५/५

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

सेवा में

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- मु0क००३० / ५ / स्था० / वा०स्था० / 2022-23.

दिनांक :- 13/04/2022

विषय :- उ० 2022-23 हेतु स्थानान्तरण हेतु विन्हीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के तहत वर्ष 2018 में कृषि विभाग जनपद चम्पावत में कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु जनपद के अन्दर तीनाती स्थलों के सुगम-दुर्गम का घयन किया गया है।

उद्योगसाना कृषि विभाग जनपद चम्पावत के अन्तर्गत उक्त कार्य स्थलों पर परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत न होने के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित कार्य-स्थलों के सुगम/दुर्गम विन्हीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

भवदीय,

W
(विजेता तौमर)
जिलाधिकारी,
चम्पावत।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक ७। / स्था० / दुर्गम—सुगम / चिन्हीकरण / 2022-23 / दिनांक २। अप्रैल, 2022

विषय— वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण हेतु चिन्हीकरण के संबंध में।
महोदय.

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 2332/स्था.अनु./वा. स्थानान्तरण पत्रा./2022-23 दिनांक 12.04.2022 जो समस्त मुख्य कृषि अधिकारी को सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठाकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा आपने जनपद स्तर से पदस्थापन किये जाने हेतु जनपद के अन्दर तहसीलों, ब्लॉकों एवं न्याय पंचायतों का सुगम—दुर्गम के चिन्हीकरण से सम्बन्धित सूचना चाही गयी है।

उपरोक्त कम में अवगत कराना है कि शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2017-18 में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कृषि विभाग के जनपद स्तर से पदस्थापन किये जाने हेतु जनपद के अन्तर्गत तहसीलों, ब्लॉकों एवं न्याय पंचायतों का सुगम—दुर्गम के चिन्हीकरण हेतु कमेटी गठित की गयी थी। गठित कमेटी द्वारा कृषि विभाग जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत न्याय पंचायतों/विकासखण्डों व जिलास्तर पर संचालित विकी केन्द्रों, कृषि प्रक्षेत्र, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला व तदसम्बन्धी कार्यालयों का निर्धारण मानकों के अनुसार करते हुए कृषि विभाग के समस्त कार्यालयों को सुगम क्षेत्र में चयनित किया गया है तथा कृषि विभाग के समस्त कार्यालय वर्ष 2017 की स्थिति के अनुसार अपने पूर्व स्थान पर ही स्थापित हैं।

अतः वर्ष 2017-18 में प्रेषित चिन्हीकरण सूचना की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया वर्ष 2022-23 में भी कृषि विभाग के समस्त कार्यालय को सुगम क्षेत्र के आधार पर ही वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम के तहत पदस्थापन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

जिलाधिकारी
उधम सिंह नगर।

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक :- १५ / मु०क०अ०बा० / स्था० / बा०स्थाना० / २०२२-२३ / दिनांक २१/०४/२०२२-

विषय :- वर्ष २०२२-२३ हेतु वार्षिक स्थानान्तरण के लिए सुगम-दुर्गम सेत्रों के विनिकरण की सूचना प्रेषण
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या ३०३ / दिनांक २०.०४.२०२२
द्वारा जनपद के अन्तर्गत तहसीलों, ब्लाकों एवं न्याय पंचायतों का सुगम-दुर्गम स्थलों के विनिकरण की सूचना
प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में वर्ष २०१८ में जिला स्तरीय समिति द्वारा जनपद के अन्तर्गत
तहसीलों, ब्लाकों एवं न्याय पंचायतों का सुगम-दुर्गम स्थल के विनिकरण किया गया था। जिलाधिकारी महोदय
द्वारा वर्ष २०१८ में सुगम-दुर्गम स्थलों के विनिकरण की सूची को वर्ष २०२२-२३ में यथावत स्थेने हेतु
अनुमोदन प्रदान किया गया है। जो संलग्न है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

मुख्य कृषि अधिकारी,
बागेश्वर।

पृष्ठांकन :- / मु०क०अ०बा० / स्था० / बा०स्थाना० / २०२२-२३ / दिनांक
प्रतिलिपि - संयुक्त कृषि निदेशक, कुगीऊ मण्डल हल्द्वानी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी,
बागेश्वर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

सेवा में

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक १५७ सु०क००३०पि० /

/ स्था / वा०स्थाना० / २०२२-२३ दिनांक २६/०४/२०२२

विषय— वर्ष २०२२-२३ स्थानान्तरण हेतु चिन्हीकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम २०१७ के तहत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के कार्यालय ज्ञाप २६२८ दिनांक २४ मार्च २०१८ द्वारा कमेटी गठित की गयी थी। उक्त गठित कमेटी द्वारा नियमानुसार सुगम—दुर्गम का निर्धारण किया गया है जिसे इस कार्यालय के पत्रांक ०१ दिनांक ०२ अप्रैल २०१८ को संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊं मण्डल, हल्द्वानी को प्रेषित किया गया था।

कृषि विभाग, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत उक्त कार्यस्थलों पर परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत न होने के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित कार्य-स्थलों के सुगम—दुर्गम चिन्हीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

मवदीय,
(अ० आञ्जीव चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
नैनीताल

सेवा में

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड कृषि निदेशालय,
देहरादून

पत्रांक | ५६ / स्था०/2022-23
महोदय,

वार्षिक स्थानांतरण के सम्बंध में जनपद नैनीताल में स्थापित विकासखण्डों/न्याय पंचायतों का सुगम/दुर्गम कार्यस्थलों का विवरण जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के अनुमोदन के उपरांत संलग्न कर सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार – तीन प्रतियाँ।

दिनांक अप्रैल २७, 2022

भवदीय,
मुख्य कृषि अधिकारी,
नैनीताल

प्रतिलिपि संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी की सेवा में उपरोक्त विवरण की प्रति संलग्न कर सेवा में प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार – तीन प्रतियाँ।

मुख्य कृषि अधिकारी,
नैनीताल

गार्हिक ख्यानान्तरण अधिनियम 2017 के तहत कृषि विभाग के जनपद नीतील में स्थापित विकासखण्डों/नापवंचायरों की
सुगम/इगम कार्यस्थलों का निर्वाचन

क्र. सं	निकाल संख्या	निकाल संख्या/ नाम	राजनीय कृषि निकाल आयुर्वि केन्द्र का पथा	कार्यस्थल की संख्या ते दूरी किमीमें	जिला सुप्रबलय से दूरी किमीमें	कृ० एवं मुख्यालय से दूरी किमीमें	रेल गाँव से दूरी किमीमें	विजली धानी सुप्रबलय से दूरी हो/नहीं	सिंधा सुप्रबलय से दूरी हो/नहीं	विकिता सुप्रबलय से दूरी हो/नहीं	सुगम इगम	अनुच्छेद	
1.	सरना	लहसील वरिसर लासी	0	18	18	40	0	हो	हो	हो	हो	—	सुगम
2.	बैठुला	निकट कौपरेटेव बैठ करियालेख	0	26	26	46	हो	हो	हो	हो	—	इगम	
3.	राज्यली	निकट परायापाल पहाड़पानी	0	35	35	57	हो	हो	हो	हो	—	इगम	
4.	नेगाना	झाल परिसर रामगढ़	0	36	36	59	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
5.	निरमिली	गोता ठेठ पर त्वेशाल	0	76	76	98	हो	हो	हो	हो	—	इगम	
6.	पुड़ला	सुपालबाड़ी ठेठ पर पुड़ला	0	53	53	75	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
7.	नमुदाजान	मुख्य बाजार में नमुदाजान	0	39	39	61	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
8.	पाखटी	मुख्य बाजार की घोड़ पाखटी	0	74	74	96	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
9.	सुपालबाड़ी	अलंकोश ठेठ सुपालबाड़ी	0	61	61	83	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
10.	ओखलकान्दा	करतभागर (खड़ी शोड पर)	0	102	102	124	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
11.	करतभागर	करतभागर (खड़ी शोड पर)	0	70	70	92	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
12.	तुष्टिकुंवर	करतभागर	0	70	70	92	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
13.	ओखलकान्दा	दालकन्दा	0	102	102	124	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
14.	नाई	नाई	0	85	85	107	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
15.	मुग्नाकोट	दोनोंनाय	0	84	84	106	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
16.	ओखलकान्दा	निकाल संख्या	0	60	60	82	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
17.	देवल बीड	पराकरतापर देवल बीड	200 मीटर	30	05	07	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
18.	बरेनी	बरेनी रोड हल्कानी	0	25	0	02	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
19.	गुन्हापुर	लामालील रोड कोठापुर	0	35	10	10	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
20.	जीवधारन	निकट साधन लहजारी जीवधारन	250मीटर	51	26	24	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
21.	लाल्हानगर	लाल्हानगर	0	34	09	07	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
22.	कुवरसुर	निकट जाधन सहकारी समिति	250 मीटर	34	09	07	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	
23.	हरिपुर बच्ची	बरेनी रोड हल्कानी	0	33	08	10	हो	हो	हो	हो	—	सुगम	

24

पूर्ण कृषि अधिकारी

हुनीताल,

पूर्ण कृषि अधिकारी

हुनीताल,

१५/१५/२०२०

क्र. सं.	विकास लाभ	विकासस्वरूप/नाम	पाखकीय कृषि नियोग आपूर्ति केन्द्र का पता	कार्यस्थल की सक्षमता जो हुई	जिला प्रशासन कार्यालय जो हुई	चौथे वर्ष में उपलब्ध करायी गई जिला प्रशासन की सक्षमता जो हुई	रेल यात्रा से हुई	नियन्ती पुरी की/नहीं	पुरी युक्ति की/नहीं	नियाम सुविधा की/नहीं	नियंत्रण सुविधा की/नहीं	सुगम	इंगम	अन्यकिं	
5.	कोटाबाग	1 स्थान	कोटाबाग रेड पर नवोदय विभालय केन्द्र	0	61	36	36	ही	ही	ही	ही	नहीं	—	इंगम	एंडएनए० एम०
2	डोंडा	पाटकोट-डोंडा केन्द्र नाम पर	0	89	65	64	ही	ही	ही	ही	ही	—	इंगम	एंडएनए० एम०	
3	अमरावती	पाटकोट शोटर नाम पर हाईट्रॉफ के पास	300मीटर	71	46	46	ही	ही	ही	ही	ही	—	इंगम	20लिंगोर्ड० आयुर्वेदिक अस्पताल	
4	निनारीगोड	विकासस्वरूप पारेसर कोटाबाग	0	62	37	37	ही	ही	ही	ही	ही	—	सुगम	—	
5	कालाहुरी	मुख्य बाजार कालाहुरी	0	47	22	22	ही	ही	ही	ही	ही	—	इंगम	—	
6	कैलपड़वा	मुख्य बाजार कैलपड़वा	0	64	39	39	ही	ही	ही	ही	ही	—	इंगम	—	
1	जोगीपुर	राजनगर बाजार लखनपुर	0	65	60	62	ही	ही	ही	ही	ही	—	सुगम	—	
2	सावल्ले	निकासस्वरूप गरिसर राजनगर	0	85	80	82	ही	ही	ही	ही	ही	—	सुगम	—	
3	लिलिक्कया	नियामगत बाजारपुर लेड पर	0	90	65	67	ही	ही	ही	ही	ही	—	सुगम	—	
4	छोडे	छोडे फैश्वाह रामगनर	0	79	48	07	ही	ही	ही	ही	ही	—	सुगम	—	
7.	भीमताल	1 नियंत्रे	रातिविनियोग बानना के निकट	—	20	20	15	ही	ही	ही	ही	ही	—	इंगम	—
2	ओखलढ़ी	पटवारी चोकी की निकट	0	48	48	10	ही	ही	ही	ही	ही	—	इंगम	—	
3	चानीबाग	निकट रायल इनफिल्ड शोलम चानीबाग	0	28	28	03	ही	ही	ही	ही	ही	—	सुगम	—	
4	चुप्पाल	मुख्य बाजार नागोली	0	30	30	34	ही	ही	ही	ही	ही	—	सुगम	—	
5	ज्योलीकोट	निकट विद्रोहलपाल ज्योलीकोट	0	27	27	18	ही	ही	ही	ही	ही	—	सुगम	—	
6	सांगुडीगोब	विकासस्वरूप मुख्यालय नीमताल	0	01	01	25	ही	ही	ही	ही	ही	—	सुगम	—	
7	थप्पलियामेहरा	नीलग्राम के निकट गांव	0	10	10	35	ही	ही	ही	ही	ही	—	सुगम	—	

२५०१२०२०

५३

५३
विकासस्वरूप विभाग
संचालक अधिकारी

मुख्य कृषि बोर्ड नाम

५३

1

एकता प्रवासन गांधी विद्यालय

पुस्तकालय
हनीराज.

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
अल्मोड़ा।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक 102 / स्था० / स्थानान्तरण / 2022-23 / दिनांक - २५-५-२०२२

विषय :- वर्ष 2022-23 में वार्षिक स्थानान्तरण हेतु चिन्हिकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-233 / स्था०अनु०-१ / वा०स्थानान्तरण पत्रा० / 2022-23 / दिनांक-12.04.2022 के द्वारा वर्ष 2022-23 में वार्षिक स्थानान्तरण हेतु (जनपद मुख्यालय को छोड़कर) जनपद के अन्दर तहसीलों, ब्लॉकों के एवं न्याय पंचायतों का सुगम-दुर्गम स्थल के चिन्हिकरण की सूचना चाही गयी है, के क्रम में जिलाधिकारी महोदया, अल्मोड़ा द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त सादर अवगत कराना है कि इस जनपद की वर्ष 2022-23 हेतु सुगम-दुर्गम स्थल की चिन्हिकरण की सूचना पूर्व वर्ष 2017 में किये गये चिन्हिकरण के अनुसार ही है।

अतः उक्तानुसार सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(डी० कुमार)
मुख्य कृषि अधिकारी,
अल्मोड़ा।

पत्रांक / स्था० / स्थानान्तरण / 2022-23 / दिनांक-

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदया, अल्मोड़ा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी,
अल्मोड़ा।

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवा मे,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड-देहरादून।

पत्राक— /मु0क०03030 / स्थान / वार्षिक स्थानान्तरण जिविनियम / 2021-22 / दिनांक 25/ 2022

विषय :- ३९ वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण हेतु चिनिकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-233 दिनांक 12.04.2022 के द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण हेतु चिनिकरण से सम्बन्धित याही गयी है के लग मे अवगत कराना है कि उक्त इस कार्यालय के पत्र संख्या-169 दिनांक 25.05.2019 के द्वारा पूर्व मे प्रेषित की गयी है उक्त सूचना के परिपालन जनपद स्तर पर "मुख्य तुरंग चिनिकरण मे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। पूर्व प्रेषित सूचना पुनः संलग्न कर आपकी सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य कृषि अधिकारी,
उत्तरकाशी।

पत्राक— / तदरिनाम।

प्रतिलिपि :- आपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पीठी की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक/131 / स्थान/मुक्तृज्ञ/वार्षिक स्थानान्तरण/2021-22/विनांक 20 अप्रैल, 2022।

विषय :- वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण हेतु विनीकरण के सम्बन्ध में।

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं 233 दिनांक 12.04.2022 के द्वारा जनपद स्तर से पदस्थापन किये जाने हेतु (जनपद मुख्यालय को छोड़कर) जनपद के अन्दर तहसीलों, ब्लाकों एवं न्याय पंचायतों का सुगम दुर्गम स्थल के विनीकरण सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के कम में सूचना महोदय की सेवा में निम्नानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित है :-

कठसं	विकासखण्ड/न्यायपंचायत का नाम	विनिहित सुगम/दुर्गम स्थल	अस्पृशित
1	2	3	4
1.	विकासखण्ड—रायपुर	विकासखण्ड के अन्तर्गत समस्त न्यायपंचायतें सुगम हेत्र में रिप्त हैं।	
2.	विकासखण्ड—सहस्रपुर	विकासखण्ड के अन्तर्गत समस्त न्यायपंचायतें सुगम हेत्र में रिप्त हैं।	
3.	विकासखण्ड—कालसी	सुगम	
4.	न्यायपंचायत कालसी	सुगम	
5.	" " कोटी	दुर्गम	
6.	" " डांगरा	दुर्गम	
7.	" " कोरवा	दुर्गम	
8.	" " नराया	दुर्गम	
9.	" " नंजरा	दुर्गम	
10.	" " मुन्दान	दुर्गम	
11.	" " खाडी	दुर्गम	
12.	" " उदपाल्टा	दुर्गम	
13.	विकासखण्ड—बकराता	दुर्गम	
14.	न्यायपंचायत बनार	दुर्गम	
15.	" " बैगी	दुर्गम	
16.	" " भनाड	दुर्गम	
17.	" " जाडी	दुर्गम	
18.	" " बन्दीसी	दुर्गम	
19.	" " निंडाल	दुर्गम	
20.	" " देल्क	दुर्गम	
21.	" " रंगुज	दुर्गम	
22.	" " काण्डोई बोन्दर	दुर्गम	

मुख्य कृषि अधिकारी,
देहरादून।

संसदः

वित्तमिकारी
देहतादून।

संसद में

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

पत्रांक /

/ स्थान / कुरुक्षेत्र / वार्षिक स्थानान्तरण / 2022-23 / दिनांक 25 अप्रैल 2022

विषय -

वर्ष 2022-23 के द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण के बारे में।

महोदय,

उपरीका विषयक कृषि निदेशक उत्तराखण्ड देहतादून के पर 80 8366 दिनांक 09 जनवरी 2018 के द्वारा याही गई सुगम-दुर्लभ विन्हीकरण नियोगी की सूचना वर्ष 2018 में जनपद सतीश स्थानान्तरण समिति द्वारा नियोगी कर विन्हीकरण की सूचना जनपदमय प्रक्रिया कर दी गई थी। कृषि निदेशक उत्तराखण्ड देहतादून के पर 80 233 दिनांक 12.04.2022 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वारा नियोगी सुगम-दुर्लभ विन्हीकरण में कोई परिवर्तन नहीं है।

आप सुगम-दुर्लभ विन्हीकरण की सूचना आपकी संसद में प्रक्रिया है।

सलमन - उकानमुख्यमंत्री।

वित्तमिकारी
देहतादून।

पत्रांक / 160 / स्थान / कुरुक्षेत्र / 2022-23 / दिनांक 25।

प्रतीक्षित - निम्न को सुखनार्थ प्रक्रिया -

✓ सुरक्षा कृषि अधिकारी देहतादून।

2. अपर कृषि निदेशक, यज्ञोत्तम बन्दर, पांडी।


वित्तमिकारी
देहतादून।

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक-136/ मु0क०0अ० / स्था० / सुगम-दुर्गम चिठ्ठा० / 2022-23 दिनांक ८ अप्रैल 2022

विषय- सुगम-दुर्गम के चिन्हिकरण सम्बन्ध में
महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतकंता अनुभाग-2 देहरादून के शासनादेश संख्या- 124/XXX-2-22-30(13)2017 देहरादून दिनांक 8 अप्रैल 2022 के द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार सामान्य स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की घारा 23 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण हेतु परिवर्तित समय सारिणी जारी की गयी है। परिवर्तित समय सारिणी के अनुसार कार्य स्थल का मानक के अनुसार चिन्हिकरण हेतु 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है।

निर्धारित तिथि तक जनपद में 6 विकास खण्डों एवं 46 न्याय पचायतों के कार्य स्थल का सुगम-दुर्गम में चिन्हिकरण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिलाधिकारी, हरिद्वार महोदय के कार्यालय आदेश-5083/स्था०/स्थाना०-सुगम-दुर्गम/2017-18 31.03.2018 के द्वारा जनपद हरिद्वार के समस्त 06 विकास खण्ड मुख्यालय, 46 न्याय पचायत मुख्यालय एवं 308 ग्राम पचायतों को परिशिष्ट-1, धारा-03 के खण्ड(ज्ञ) के अन्तर्गत पचायती राज/ग्राम्य विकास एवं कृषि विभाग के कार्मिकों की तैनाती हेतु सुगम घोषित किया गया है।

चूंकि जनपद की भगौलिक स्थिति के अनुसार समस्त जनपद को सुगम की श्रेणी में रखा गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 में सुगम घोषित किये गये आदेश को ही वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2022-23 हेतु लागू समझा जायें।

मधुदीय,

(विजय देवराङ्गी)
मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रपृष्ठांकन— दिनांकित उक्त।

प्रतिलिपि— मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला अधिकारी, हरिद्वार महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रेषक,
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

प्रेषित,
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक-181 / मुक्तृ०३० / रथा० / स्थानापत्रा० / 2022-23 / दिनांक 27/4/2022

विषय— वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण हेतु चिन्हीकरण के सम्बन्ध में।


महोदय,
उपरोक्त विषयक कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-8368, दिनांक 09 फरवरी, 2018 के द्वारा घासी गई सुगम-दुर्गम चिन्हीकरण निर्धारण की सूचना वर्ष 2018 में जनपद स्तरीय स्थानान्तरण समिति द्वारा निर्धारण कर चिन्हीकरण की सूचना तत्समय प्रेषित कर दी गई थी। कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-233 दिनांक 12-04-2022 के क्रम में अतः सुगम-दुर्गम चिन्हीकरण की सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्न— यथोपरि।


जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

पत्रांक— / उक्त दिनांकित।
प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।
1—मुख्य कृषि अधिकारी, पीड़ी गढ़वाल।
2—अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पीड़ी।


जिलाधिकारी,
गढ़वाल।



जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

महोदया,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-124/xxx-2-22-30(13)2017 दिनांक-08 अप्रैल 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक रथानान्तरण रत्न वर्ष 2022-23 के हेतु वार्षिक रथानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार सामान्य रथानान्तरण किए जाने का निर्णय लेकर अधिनियम की पारा 23 के अन्तर्गत वार्षिक रथानान्तरण हेतु गर्यालयाध्यक्ष/प्रभागाध्यक्ष द्वारा सुगम-दुर्गम कार्य रथल का मानक के अनुसार दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक, चिन्हीकरण किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में वृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक-233 दिनांक-12.04.2022 के द्वारा वार्षिक रथानान्तरण वर्ष 2022-23 हेतु जनपद के अन्दर तहसीलों, ब्लाकों एवं न्याय पंचायतों का सुगम-दुर्गम रथल के लिये चिन्हीकरण किये जाने हेतु अधोहस्ताकारी को निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में शासनादेश के बिन्दु संख्या-2(2) के अनुपालन में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वार्षिक रथानान्तरण वर्ष 2017-18 हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गयी थी (पत्रांक अ) ।

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. जिलाधिकारी- | अध्यक्षा/नामित अधिकारी |
| 2. मुख्य कृषि अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर | सदस्य |
| 3. मुख्य पशुधिकारी, टिहरी गढ़वाल नरेन्द्रनगर | सदस्य (नामित दूसरे विभाग का अधिकारी) |
| 4. जिला सहायक निबन्धका, सहायकारी समितियां नरेन्द्रनगर | सदस्य |


उक्त के क्रम में अधोहस्ताकारी के द्वारा रथानान्तरण वर्ष 2022-23 हेतु चिन्हित जिला रत्न पर कार्निकों का वार्षिक रथानान्तरण हेतु सुगम/दुर्गम रथलों का आंशिक संशोधन करते हुये विवरण पत्रांक ब ने पत्रांकों के दाइनी और समिति है।

कृपया समिति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।


मुख्य कृषि अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल नरेन्द्रनगर


मुख्य पशुधिकारी अधिकारी
टिहरी गढ़वाल-नरेन्द्रनगर


जिला सहायक निबन्धक
सहायकी समितियां उत्तराखण्ड
टिहरी गढ़वाल


As per
23/4/2022

प्रायोगिक राजनीति एवं सामर्थ्य ममूला-२ के राज संघ- 134XXXX-3-22-38/1342017 विषयक ३८ नंबर, २०२२ के त्रुट वर्ष २०२२-२३ हेतु विविध विवर राज या संसदीय कार्यक्रम

विना
प्राप्ति/प्राप्तिकर/प्राप्ति
प्राप्ति/प्राप्तिकर
प्राप्ति/प्राप्तिकर/प्राप्ति
प्राप्ति की वा प्राप्ति की
प्राप्ति की वा प्राप्ति
प्राप्ति की वा प्राप्ति की वा प्राप्ति

*मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय-विदेशी
दिल्ली चैम्पियनशिप और इंटरनेशनल*


श्री स.प.सिंह
सचिव
भारतीय उत्तराधिकारी
दिल्ली प्रशासन

वें- वापस कर्मितम् / दिलागार्हत्वं एव यद्यपि दामयो चासुपूर्वे से 700 इकाई वर्षों के बीच हो गए थे।

१८८० तारिख, ब्रह्मपुर।

मुख्य पत्रिकामित्री
टिप्पणी गवाचल नरेन्द्रनार।

मुख्य वृद्धि अधिकारी
टिकटे मुद्रण, नरेन्द्रनगर।

ପ୍ରକାଶକାରୀ

५

清江集

प्रेषण,

जिलाधिकारी

कलाप्रयाग

संभाग,

कृषि निदेशक,

उत्तराखण्ड

देहरादून।

पत्रांक- ८७ / मुख्यमंत्री/ स्थानीय स्थानान्तरण पत्रा/ 2022-23 / दिनांक २२/०५/२२

विषय- उत्तराखण्ड सोक सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 द्वारा जनपद स्तर पर सुगम/ दुर्गम स्थानों के विनीकरण के बाबत है।

महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके हांगा उत्तराखण्ड सोक सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 द्वारा जनपद स्तर पर सुगम/ दुर्गम स्थानों के विनीकरण से सम्बन्धित सूचना चाही गयी है।

अब: उक्त के मान पूर्व में जनपद स्तर पर गठित समिति हांगा विभिन्न सुगम/ दुर्गम स्थानों को व्यापक रूप से सूचना व्यापक कार्यवाही से द्वारा आपको प्रेषित की जा रही है।

संभाग- उपसेक्टानुसार (01)।

महोदय

10
(मनुज चायल)
जिलाधिकारी
कलाप्रयाग।

प्रकाशन संख्या- / उक्त/ दिनांकित।
प्रतिलिपि- 1. सुनव कृषि अधिकारी कलाप्रयाग को व्यापक कार्यवाही द्वारा
2. मुख्य व्युक्तिकर्त्ताधिकारी, कलाप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
कलाप्रयाग।

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक- 122/कृषि-4/स्थान/स्थानान्तरण अधिनियम/2022-23/दिनांक- २१.०४.२२

विषय- "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017" से सम्बन्धित चिन्हिकरण की सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र सं0-233 / दिनांक 12.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करेंगे, जिसके द्वारा जनपद रत्तर से पदस्थापन किये जाने हेतु न्याय पंचायतों का सुगम-दुर्गम चिन्हिकरण सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि जनपद के अन्तर्गत कार्यस्थलों के चिन्हिकरण हेतु जिलाधिकारी, महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, महोदय को नामित कर समिति का गठन किया गया है एवं मुख्य विकास अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जनपद के अन्तर्गत कार्य स्थलों का चिन्हिकरण किया गया है।

अतः समिति द्वारा चिन्हित सुगम-दुर्गम स्थलों की सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

मुख्य कृषि अधिकारी,
चमोली।

पृष्ठांसं0-
प्रतिलिपि-

/ उक्त दिनांकित।

अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौडी की सेवा में सूचना सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी,
चमोली।

मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी,

महोदय

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक-2017 सम्बन्धी अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 (पताका-अ) की धारा 16 10(1) के अनुसार कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग द्वारा स्थाई समिति का गठन किया जाना है, जिसमें विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग से नामित किया जायेगा एवं अधिनियम की धारा 5-2(2) पताका-ब के अनुसार प्रत्येक विभाग आपकी अध्यक्षता अथवा आपके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की आवश्यकतानुसार सुगम दुर्गम क्षेत्रों का विनिहकरण किया जायेगा।

शासनादेश सं-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08.04.2022 के अनुसार दिनांक 30 अप्रैल तक कार्य स्थल का मानक के अनुसार विनिहकरण कर दिनांक 01 मई तक स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। अधिनियम की धाराओं के अनुसार जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों के विनिहकरण एवं स्थानान्तरण हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है :-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. जिलाधिकारी / जिलाधिकारी, महोदय द्वारा नामित अधिकारी | — | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य कृषि अधिकारी | — | सदस्य |
| 3. मुख्य उद्यान अधिकारी | — | सदस्य |
| 4. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोपेश्वर | — | सदस्य |

अतः अधिनियम की धारा 5-2(2) के अधीन कृषि विभाग के सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों के विनिहकरण एवं स्थानान्तरण हेतु गठित प्रस्तावित समिति का सहमति की दशा में अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करना चाहें। साथ ही विभागीय स्थाई स्थानान्तरण समिति के गठन हेतु अध्यक्ष के रूप में रवयं अथवा किसी अन्य अधिकारी को नामित करने का काट करेंगे।

CHIEF AGRI OFFICER
CHAMOLI

20/4/2020
P.D.O.

DO नामित
हिमांशु खुराना
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी चमोली

कृ.भूस.अ.गोपेश्वर/मुख्य उद्यान अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,

महोदय, उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 सम्बन्धी अधिसूचना सं0-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 की धारा 5-2(2) के अनुसार प्रत्येक विभाग जिलाधिकारी, महोदय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विभाग की आवश्यकतानुसार सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हिकरण का कार्य करेगा। शासनादेश सं0-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08.04.2022 के अनुसार दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक कार्य स्थल के अनुसार चिन्हिकरण किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अत अधिनियम की धाराओं के अनुसार नोटशीट सं0-03 में जिलाधिकारी, महोदय द्वारा जनपद में विभाग की आवश्यकतानुसार सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हिकरण हेतु मुख्य विकास अधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है एवं विभाग की आवश्यकताओं, तथा सन्दर्भित शासनादेश में अंकित बिन्दुओं व तदानुसार कार्य क्षेत्र, मूलभूत सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में विभाग की न्याय पंचायतों का सुगम एवं दुर्गम चिन्हिकरण कर प्रस्ताव पत्रावली के समुख पृष्ठ पर संलग्न कर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है। सहमति की दशा में प्रस्ताव हस्ताक्षरित कर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

एवं ग्रन्ति संरक्षण अधिकारी
गोपेश्वर (चमोली) CHAMOLI

CHIEF AGRI OFFICER
CHAMOLI

C.D.O.
CHAMOLI

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत कृषि विभाग, जनपद चमोली के क्षेत्र / मुख्यालयों का सुगम दुर्गम क्षेत्र का चिन्हीकरण

विभाग का नाम :- कृषि विभाग
जनपद :- चमोली।

वर्ष:- 2022-23

क्र.सं.	विकासस्थल का नाम	कार्य मुख्यालय / नदीय पश्चायत का नाम	मोटर यार्ड से दूरी (कि.मी.)	समुद्र तल से उचाई (कीट नॉ)	सामान्य आवारण सुविधाओं का विवरण					नगर क्षेत्र / प्रायोग क्षेत्र	सुगम / दुर्गम का चिन्हिकरण	अनुमति
					सड़क	रिजली	पानी	भिका	विकिरण सुविधा			
1	जोरोमठ	लप्तान	0 KM	5885	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
2		मतारी	0 KM	9660	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
3		हल्ला	0 KM	5400	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
4		द्वीपल्पारा	0 KM	4380	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
5		पालदुर्गोलर	0 KM	6300	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
6	दाशोली	विरोगना	0 KM	4960	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
7		चिन्हा	0 KM	4340	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
8		मिठामा	0 KM	2790	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
9		धर्मारोप	0 KM	3720	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
10	पार	पारलीप	0 KM	3720	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
11		पुरी	0 KM	3720	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
12		उस्तुरीप	0 KM	4340	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
13		तीरा	0 KM	4960	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
14	झारुपाल	झिरकोटी	0 KM	2530	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
15		नीटी	0 KM	4760	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
16		मिमोली भव्याकी	0 KM	2677	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
17		सोनली	0 KM	4541	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
18		सालारी	0 KM	3993	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
19		नोटी आपती	0 KM	3436	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
20	पोखरी	पोखरी	0 KM	6063	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
21		धालारी	0 KM	6060	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
22		हगाल	0 KM	2730	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
23		किनोठा	0 KM	6306	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध
24		गिरसा	0 KM	2676	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध

Yogi Govt
Chamoli
KSSR

C.M.D.
CHAMOLI
KASHMIR

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तांत कृषि विभाग, जनपद चमोली के होने/मुख्यालयों का सुगम दुर्गम होने का चिन्हीकरण

लिखन का नाम - कृषि विभाग

वर्ष - 2022-23

जनपद - चमोली।

क्र.	लिखनकार का नाम	कार्य मुकाबला/वाय प्रसायर का दूरी (कि.मी.)	संग्रह तत्त्व से उचाई (मीट में)	सामान्य आवारण सुविधाओं का विवरण					नगर होने/ग्रामीण होने	सुगम/दुर्गम का विनिकरण	अनुचित
				साड़क	विजली	पानी	रिक्ता	सुविधा			
25.	गैरलेन	0 KM	7297	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	नगर होने	सुगम	
26.	कुमारनी	0 KM	5591	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	ग्रामीण	दुर्गम	कार्य होने-चाय पश्चिम के अन्तर्गत
27.	लोहिटा	0 KM	4500	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	ग्रामीण	दुर्गम	आन्ध्रादित ग्राम
28.	भूलत्यानी	0 KM	4259	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	ग्रामीण	दुर्गम	
29.	देवलकोट	0 KM	4760	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	ग्रामीण	दुर्गम	
30.	आदिवासी	0 KM	4052	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	ग्रामीण	दुर्गम	
31.	नारायणगढ़	0 KM	3000	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	ग्रामीण	सुगम	कार्य होने-चाय पश्चिम के अन्तर्गत
32.	जापापट्टी	0 KM	6000	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	—	दुर्गम	
33.	मनीजी	0 KM	4200	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	ग्रामीण	दुर्गम	आन्ध्रादित ग्राम
34.	हसमीनी	0 KM	3500	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	ग्रामीण	दुर्गम	
35.	लोहिटी	0 KM	5900	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	ग्रामीण	दुर्गम	
36.	बराती	0 KM	4000	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	नगर होने	सुगम	कार्य होने-चाय पश्चिम के अन्तर्गत
37.	देवगत	0 KM	4500	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	नगर होने	सुगम	आन्ध्रादित ग्राम
38.	मुन्दोती	0 KM	7800	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	ग्रामीण	दुर्गम	
39.	लिमडी	0 KM	4200	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	उपत्तमा	ग्रामीण	दुर्गम	

कृषि एवं ग्रामीण संसाधन अधिकारी,
गोपरवार।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
कमाती।

मुख्य कृषि अधिकारी,
चमोली।